न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 43/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

1. गुरप्रीत सिह पुत्र श्री जसवन्त सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
2. गुरसेव सिह पुत्र श्री जसवन्त सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।

–वादी

बनाम्

1. जसवन्त सिह पुत्र श्री दलसिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री महावीर बेरड एडवोकेट (वादी)
2. कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1)

निर्णय दिनांक:– 25.2.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 106/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1/2 हिस्सा अर्थात 3.3525 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:– वादीगण 1. गुरप्रीत सिंह 2. गुरसेव सिंह पुत्रगण श्री जसवन्त सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 106/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.759 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 जसवन्त सिंह पुत्र श्री दल सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 106/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.5935 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 2 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 106/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1/2 हिस्सा अर्थात 3.3525 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.759 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काष्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 6 एनकेआर खाता सं. 106/46 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबंदी प्रदर्श 1

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 6 एनकेआर खाता सं. 106/46 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 जसवन्त सिह पुत्र दलसिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने नामान्तरण की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 2 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के वादीगण का पिता है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

उप कलक्टर एवं
उड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 6 एनकेआर के खाता संख्या 106/46 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण को 0.759 है. बहिब कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.2.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

प्रकरण संख्या:– 43/2026

1. गुरप्रीत सिह पुत्र श्री जसवन्त सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
2. गुरसेव सिह पुत्र श्री जसवन्त सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।

–वादी

बनाम्

1. जसवन्त सिह पुत्र श्री दलसिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 श्री कुलदीप मूण्ड एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 6 एनकेआर के खाता संख्या 106/46 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण को 0.759 है. बहिब कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..X..नल..X..मुब्लिक..X..निल..X..बाबत्..X..निल..X..खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..X..अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.2.20[illegible] को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया